

24.03.2023:- यह पत्रावली आज पेशी से आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। की वादी व प्रतिवादीगण राजीनाम हो चुका है मुताबिक राजीनाम वादी अपने वाद पत्र को इसी प्रक्रम पर खारिज करवाना चाहता है। आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। दावा विद्वानल खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र पर अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

